



नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) वैद्य को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० दीपराज सिंह गर्ब्याल को माइक्रोबायोलॉजी विभाग श्रेणी एस०टी० में नियुक्ति (वेतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

1. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
2. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
3. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
4. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
5. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
7. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
8. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/378

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक- मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/11/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में पीट यू० जी० २०१८ (एम०वी०वी०एम०) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० आशुतोष कुमार को माइक्रोबायोलॉजी विभाग श्रेणी एस०टी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हनु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकरिमक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकरिमक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 379

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० सरिता चौधरी को जनरल सर्जरी विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 380

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०वी०वी०एस०) बैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० सुमित कुमार चौधरी को टी०वी० एवं चेस्ट विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कही पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डानात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहरस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 381

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य, 11/6/24

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No. - 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/6/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०बी०बी०एस०) बंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० प्रतिभा सौरभ को जनरल सर्जरी विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 382

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय— महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/6/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) बेंच को अनिवार्य सेवा बण्ड के अन्तर्गत डा० प्रतिभा सौरभ को जनरल सर्जरी विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदर्शित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैंक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 382

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बंध को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० प्रतिभा सौरभ को जनरल सर्जरी विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदर्शित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कही पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोपजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 382

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०बी०बी०एस०) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० पारस चन्द्र को पैथोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 383

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्रो. राजेश कुमार

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/6/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) ब्रेच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० विशाल सोनकर को माइक्रोबायोलॉजी श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकरिमक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकरिमक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहरताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 384

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

11/6/24

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०डी०बी०एस०) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० **खुशी सोनकर** को माइक्रोबायोलॉजी विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-**१०.०६.२०२४** तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डानात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 385

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

11/6/24

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) बेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० रागिनी यादव को बायोकेमिस्ट्री विभाग श्रेणी ओ०बी०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अम्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कमी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 386
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०बी०बी०एस०) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० दीप्ति मिश्रा को पैथोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रू० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रू० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकरिमक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकरिमक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 387
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० हर्ष प्रकाश गिरी को जनरल सर्जरी श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वर्तमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 386

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) वैद्य को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० शिवम मिश्रा को जनरल सर्जरी श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 389

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे० /नियुक्ति /बान्ड /2024-25 /

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) बैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० नाजिया प्रवीन को कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग श्रेणी ओ०बी०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे० /नियुक्ति /बान्ड /2024-25 / 390

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० अभिषेक पटेल को नेत्र रोग विभाग श्रेणी ओ०बी०सी० में नियुक्ति. (वतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कमी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 391

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक—मे०का०दे० /नियुक्ति /बान्ड /2024-25 /

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) वेंच को अनिवार्य सेवा बान्ड के अन्तर्गत डा० पूजा पाण्डेय को ई०एन०टी० विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे० /नियुक्ति /बान्ड /2024-25 / 392
प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय— महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०पी०एस०) बच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० अभिषेक श्रीवारतव को ई०एन०टी० विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तद्दिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 393

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

11/06/24

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्द/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० अभिषेक वर्मा को फार्सेंसिक मेडिसिन विभाग श्रेणी ओ०बी०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्द/2024-25/ 394

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

11/6/24

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय— महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे० / नियुक्ति / बान्ड / 2024-25 /

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) वैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० शाहनूर को कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग श्रेणी ई०डब्ल्यू०एस० में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कही पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे० / नियुक्ति / बान्ड / 2024-25 / 395

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक—मे०का०दे० / नियुक्ति / बान्द / 2024-25 /

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ, के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०वी०वी०एस०) बच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० कौशिकी मिश्रा को साइकेट्रिक विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

1. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कही पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
2. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
3. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
4. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
5. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
7. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
8. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे० / नियुक्ति / बान्द / 2024-25 / 396

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० साहिल मौर्या को साइकेट्रिक श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अचिलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कमी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्राक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्द/2024-25/ 397

प्रतिनिधि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) वैद्य को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० रोहित यादव को जनरल सर्जरी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 398

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०बी०बी०एस०) ब्रेच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० फारहीन यूनस को बायोकेमिस्ट्री विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वर्तमान रू० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रू० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैटक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 399

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० सुनीत कुशवाहा को बायोकेमिस्ट्री विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 400

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) बेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० अमन कुमार डालमिया को फिजियोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदर्शित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 401

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक - 11/6/2024

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (एम०वी०वी०एस०) बंध को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० आकर्ष प्रताप सिंह को जनरल मेडिसिन विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।



प्राचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 402

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

Handwritten signature of the Principal

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० जीतू पाण्डेय को फार्माकोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 403

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय— महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक—मे०का०दे० /नियुक्ति / बान्ड / 2024—25 /

दिनांक 11/06/2024

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० शुभम अग्रवाल को फिजियोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कही पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे० /नियुक्ति / बान्ड / 2024—25 / 404

- प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
 03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
 04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
 05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
 06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
 07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
 08. सूचना पट्ट कालेज।
 09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य, 11/06/2024

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक- 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) वेद को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० सुशील कुमार सिंह को पैथोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए वाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 405

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक- 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) वैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० प्रिया कुमारी गुप्ता को चर्म रोग विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 466

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय— महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०बी०एस०) वच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० कुशागरा भट्ट को फार्माकोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 407

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



दिनांक 11/06/24

पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एग०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०वी०वी०एस०) वैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० प्रिया शर्मा को चर्म रोग विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,
 महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
 चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
 तद्दिनांकित

पत्रांक—मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 408
 प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,
 महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
 चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE -MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक 11/06/24

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० 2018 (एम०बी०बी०एस०) वैद्य को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० मुन्ना कुमार को फार्माकोलॉजी विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेंट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकरिमक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकरिमक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डानात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/ 409

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



प्रधानाचार्य कार्यालय- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया (उ०प्र०)

PRINCIPAL OFFICE - MAHARSHI DEVRAHA BABA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, DEORIA

Website:- mdbmc.ac.in

Tel. No.- 05568297433

Email:- mdbmc2021@gmail.com



पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/

दिनांक - 11.06.2024

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-3/2024/1053 दिनांक-03.06.2024 के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यूजी० 2018 (CAIIP) बैच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० निहारिका शर्मा को दन्त रोग विभाग श्रेणी सामान्य में नियुक्ति (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 5400) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-10.06.2024 तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 6 अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/412

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

11/6/2024
प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

नियुक्ति आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० एम०ई०-३/२०२४/१०५३ दिनांक-०३.०६.२०२४ के क्रम में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ०प्र० में नीट यू०जी० २०१८ (०१३२) वेंच को अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डा० प्रियंका कुमारी को दन्त रोग विभाग श्रेणी एस०सी० में नियुक्ति (वेतनमान रु० १५६००-३९१०० एवं ग्रेड वेतन रु० ५४००) पर किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त अपना योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक-१०.०६.२०२४ तक निर्धारित की गई थी। इनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर मरीजों को प्राईवेट संस्थानों में देखने अथवा इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं पर प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।
02. जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-१९/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
03. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
04. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
05. कार्य स्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है, बिना प्रतिस्थानी के आये कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. किसी भी प्रकार का हड़ताल, आन्दोलन करने अथवा भाग लेने पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा।
07. किसी भी परिस्थिति में आपका सेवा समाप्ति तिथि से कार्य विस्तार नहीं किया जायेगा।
08. तृतीय शासी निकाय बैठक शासनादेश File No.71-3099/853/2021-03- के संलग्नक-२ के बिन्दु सं० ६ अभ्युक्ति में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनहित, रोगीहित एवं संस्थाहित में तैनाती के विभागों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्राचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तद्दिनांकित

पत्रांक-मे०का०दे०/नियुक्ति/बान्ड/2024-25/413

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, बेवसाइट, मेडिकल कालेज देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
06. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
07. लेखाधिकारी, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना पट्ट कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्राचार्य, 11/6/2024

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।